सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आषाढ़ 23, सोमवार, *शाके* 1947- जुलाई 14, 2025

Asadha 23, Monday, Saka 1947- July 14, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 26, 2023

संख्या एफ 3(20)वन/2013 :-वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा बांरा जिले की अन्ता तहसील की 75.63 हैक्टेयर भूमि जिसका विवरण अनुसूची-1 में है तथा जिसका सीमा विवरण अनुसूची -2 के अनुसार हैं, को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पति, भू-संरचना संबंधित, नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुये **सोरसन संरक्षण आरक्षिती तृतीय (Conservation reserve)** घोषित करती है, जिसे भविष्य में **सोरसन संरक्षण आरक्षिती तृतीय** के नाम से जाना जावेगा

अनुसूची-।

क्र॰ सं॰	नाम कन्जर्वेशन रिजर्व	सम्मिलित वनखण्डों के नाम	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण	क्षैत्रफल (हैक्टर)
1	**सोरसन संरक्षण आरक्षिती तृतीय**	सोरसन ''डी'' भाग 1 व 2	सम्पूर्ण वनखण्ड	75.63

खसरा वार भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वनखण्ड	मौजा	क्षेत्रफल हैक्टर में		विशेष विवरण
				खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	
बारां	अन्ता	सोरसन ''डी'' भाग 1 (प्रस्तावित)	सोरसन	1173	19.15	
			योग	1	19.15	
		भाग 2	सोरसन	1176	2.00	
				2198/1176	16.06	
				1177	18.66	
				1175	19.76	
			योग	**4**	**56.48**	
			कुल योग	**5**	**75.63**	

अनुसूची-II

सोरसन संर0क्षण आरक्षिति - तृतीय की सीमाऐं

उत्तरी सीमा :- वनखण्ड सोरसन ''डी'' भाग 1 व 2 के उत्तर पश्चिमी कोने से पूर्व दिशा में उत्तरी पुर्वी कोने तक।

पूर्वी सीमा :- वनखण्ड सोरसन ''डी'' भाग 1 व 2 के उत्तरी पुर्वी कोने से प्रारम्भ होकर पुर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिण में सोरसन ब्रहमाणी माताजी के मंदिर तक।

दक्षिणी सीमा :- सोरसन ब्रहमाणी माताजी के मंदिर से दक्षिण सीमा के साथ-साथ पश्चिम में खरखडा ग्राम की सरहद तक ।

पश्चिमी सीमा:- वनखण्ड सोरसन ''डी'' भाग 1 व 2 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से प्रारम्भ होकर खरखडा एवं मानपुरा ग्राम की सरहद के सहारे सहारे वनखण्ड सोरसन ''डी'' भाग 1 व 2 के उत्तर पश्चिमी कोने (मानपुरा तालाब) तक ।

इसका कुल क्षेत्रफल 75.63 हेक्टर होगा।

इस प्रकार **सोरसन संरक्षण आरक्षिति (सोरसन कन्जर्वेशन रिजर्व) तृतीय** घोषित हो जाने के उपरान्त ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कि **सोरसन संरक्षण आरक्षिति तृतीय** की सीमाओं के निकट निवास करता है, उसका यह दायित्व होगा कि:-

1. वह इन कन्जर्वेशन रिजर्व में वनों एवं वन्य प्राणियों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकेगा।
2. यदि उसकी जानकारी में ऐसी कोई बात आती है कि इस कन्जर्वेशन रिजर्व में वनों एवं वन्य प्राणियों के प्रति किसी प्रकार का अपराध घटित हो गया है तो वह अपराधियों को पहचानने एवं उन्हे गिरफ्तार कराने में स्थानीय वन अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के साथ सहयोग करें।
3. किसी भी वन्यजीव की मृत्यु होने पर उसके शव की तब तक रक्षा करेगा जब तक कि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत वनाधिकारी उसको अपने कब्जे मे नही ले लेता है।
4. कन्जर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में न तो आग जलाएगा और न ही आग को जंगल में जलता हुआ छोड़ेगा। जंगल में आग लगने अथवा आग लगने की जानकारी होने पर उसके शमन का पूर्ण प्रयत्न करेगा तथा उसको जंगल में फैलने से रोकेगा तथा वन अधिकारियों का सहयोग करेगा।
5. कन्जर्वेशन रिजर्व की सीमा चिन्हों को न तो नुकसान पहुचायेगा और न ही उन्हे परिवर्तित अथवा खण्डित करने का प्रयास करेगा।
6. कन्जर्वेशन रिजर्व की सीमा में स्वछंद विचरण करने वाले वन्यजीवों के साथ न तो छेड़खानी करेगा और न उन्हे सता कर परेशान करेगा।
7. कन्जर्वेशन रिजर्व के क्षेत्र में गंदगी नही फैलाएगा।
8. कन्जर्वेशन रिजर्व के क्षेत्र में वन्यजीवों के लिए हानिकारक एवं घातक रसायन अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर प्रवेश नही करेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
मोनाली सेन,
विशेषाधिकारी, वन।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।